

न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या:— 18/2022 अपील (राजस्व)

1. श्री रूपा पिता स्व. श्री अमरा जी भील निवासी नाई ग्रामीण नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
2. श्री लालू पिता स्व. श्री कऊवा निवासी नाई ग्रामीण नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर
3. श्री रमेश पिता स्व. श्री कऊवा निवासी नाई ग्रामीण नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये उपतहसीलदार बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये पटवारी हल्का नाई, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....रेस्पोजेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी
निर्णय दिनांक 07.12.2020 विरुद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार
बारापाल जिला उदयपुर प्रकरण संख्या 946/2020 अनवान पटवारी नाई
बनाम रूपा व अन्य

- उपस्थित:
1. श्री चुन्नीलाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट
 2. श्री कल्पित जैन, पेटोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:— 17.10.2022

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्टस ग्राम नाई नोहरा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर के स्थाई निवासी होकर अपीलान्टस पीढी दर पीढी कृषक है जो पूर्णतया भूमिहीन खातेदार होकर ग्राम नोहरा पटवार क्षेत्र नाई तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 8328 से 8332 कुल कित्ता 05 रकबा 0.4950 हेक्टेयर भूमि पर अपने पूर्व पुरुष अमरा पिता थावरा भील एवं कऊवा पिता नाथवा भील के समय से काबिज होकर खेती बाडी करते आ रहे है जिस पर वर्तमान में अपीलान्टस पृथक-पृथक काबिज होकर अपने-अपने हिस्से एवं आधिपत्य की भूमि पर खेती करते है, जिस पर अपीलान्टस की फसल खडी है। उक्त भूमि पर अपीलान्टस के मकान एवं



पशुमाला बनी होकर शेष भूमि कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग में आ रही है। उक्त भूमि सहवन से नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर रेस्पोजेण्टस का उक्त भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। ना ही उक्त भूमि रेस्पोजेण्टस के क्षेत्राधिकार की है, ना चारागाह है ना ही बिलानाम दर्ज है। रेस्पोजेण्ट संख्या 2 द्वारा बिना किसी हक अधिकार के अपीलान्ट को परेशान करने हेतु आधारहीन शिकायत उपतहसील कार्यालय बारापाल में प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 07.12.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी तथा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आनन-फानन में खाली ऑर्डरशीट पर हस्ताक्षर करवाकर अपीलान्टस को वापिस भेज दिया और प्रश्नगत निर्णय पारित फरमाया। अपीलान्टस को अपना पक्ष रखने हेतु समय नहीं दिया गया। रेस्पोजेण्ट संख्या 2 कभी भी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्ट संख्या 1 की तलबी सुनिश्चित नहीं की, अपीलान्टस को वास्तविकता प्रकट करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। उक्त भूमि ही अपीलान्टस की आजीविका का एकमात्र जरिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रटे रटाये, पूर्व के छपे फार्म पर बिना ठोस आधार के बिना जांच किये, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। अपीलान्टस अनुपस्थित नहीं थे फिर भी अपूर्ण रिक्त स्थान भरकर अपीलान्टस पर जुर्माना लगाते हुए निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज होकर धारा 91(3) राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम से परे होने के साथ-साथ माननीय अधीनस्थ न्यायालय के क्षेत्राधिकार श्रवणाधिकार से बाहर है।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम का भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कथित आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय बाबत कोई जानकारी नहीं दी गई इस बीच कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 10.02.2022 को नकल प्राप्त कर अपने

अधिवक्ता से सम्पर्क कर जल्द जानकारी की दिनांक के अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता अपीलाण्ट एवं परोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

अपील पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया है कि ग्राम नोहरा पटवार क्षेत्र नाई तहसील गिर्वा के हाल आराजी संख्या 8328 से 8332 कुल कित्ता 05 रकबा 0.4950 हेक्टेयर भूमि पर अपने पूर्व पुरुष अमरा पिता थावरा भील एवं कऊवा पिता नाथवा भील के समय से काबिज होकर पीढियों से खेती बाडी करते आ रहे है। अपीलाण्ट भूमिहीन होकर उक्त भूमि ही अपीलाण्टस की आजीविका का एकमात्र साधन है। उक्त भूमि पर पशुशाला एवं अपीलाण्टस के मकानात बने हुए है। वर्तमान में उक्त भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम होते हुए भी रेस्पाडेन्ट ने प्रकरण दर्ज करवाया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात भी अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। खाली प्रफोर्मा पर अपीलाण्टस के हस्ताक्षर करवाए गए एवं निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे।

परोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त भूमि बिलानाम सरकार दर्ज थी। बिलानाम सरकार दर्ज होने से की गई कार्यवाही उपतहसीलदार के क्षेत्राधिकार मे ही थी। नगर विकास प्रन्यास के नाम भूमि दिनांक 30.07.2021 को दर्ज की गई है। अपीलार्थी द्वारा भूमि स्वामित्व सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण

दिनांक 02.12.2020 को दर्ज कर 07.12.2020 को निर्णय पारित किया गया है। निर्णय दिनांक तक भूमि बिलानाम सरकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर उपतहसीलदार बारापाल के अधिकार क्षेत्र में ही थी। भूमि 30.07.2021 को नगर विकास प्रन्यास के नाम दर्ज हुई है। साथ ही अपीलार्थी द्वारा आंवटन/नियमन सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जो अपीलार्थी का स्वामित्व प्रकट करते हैं। अतः उपतहसीलदार बारापाल द्वारा की गई कार्यवाही विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार हों। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
उदयपुर